

प्रेस नोट दिनांक 08.11.2025

थाना बारादरी जनपद बरेली

थाना बारादरी #bareillypolice द्वारा अवैध मादक पदार्थों की अन्तर्राष्ट्रीय तस्करी करने वाले 02 शातिर अभियुक्तों को 01 किलो 011 ग्राम अवैध मार्फिन (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 01 करोड़ रुपये), परिवहन में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल रजि0नं0 UP25 ED5373 एवं 02 मल्टीमीडिया मोबाइल फोन सहित किया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण/परिचय:-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली महोदय द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बारादरी पुलिस द्वारा दिनांक 07/08.11.2025 को रात्रि गस्त के दौरान 02 शातिर अभियुक्त 1. भूपराम पुत्र हरिराम निवासी ग्राम ताजपुर नवदिया थाना भमौरा, जिला बरेली उम्र करीब 22 वर्ष 2. प्रमोद पुत्र रामपाल निवासी ग्राम ताजपुर नवदिया थाना भमौरा जिला बरेली उम्र करीब 21 वर्ष को विजय पेट्रोल पम्प के पास खाली पड़े ग्राउण्ड से 01 किलो 011 ग्राम अवैध मार्फिन (जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 01 करोड़ रुपये), परिवहन के रूप में प्रयुक्त एक मो0साइकिल नं0 UP 25ED5373 एवं 02 मल्टीमीडिया मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया गया। इनका एक अन्य साथी नवनीत निवासी ग्राम दियोनी थाना दातागंज जिला बदायूं फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 1332/2025 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ कर मा0 न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड स्वीकृत कराकर जेल भेजा जायेगा।

घटना के सम्बन्ध में तथ्यों का सारगर्भित विवरण:-

दिनांक 07/08.11.2025 की रात्रि थाना बारादरी पुलिस टीम 30नि0 विनय बहादुर सिंह चौकी प्रभारी सैटेलाइट, 30नि0 रवि तोमर, हे0का0 879 चेतन सिंह, हे0का0 329 राहुल कुमार, का0 555 दीपांशु पोसवाल, का0 1071 आदित्य कुमार शान्ति व्यवस्था हेतु विजय पेट्रोल पम्प से आगे चैकिंग कर रहे थे, इसी दौरान सतीपुर चौराहे की तरफ से एक मोटर साइकिल पर तीन व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये, पुलिस टीम द्वारा मोटर साइकिल को रुकने का इशारा किया गया उक्त तीनों द्वारा मोटर साइकिल को खाली पड़े मैदान में मोड़कर भागने का प्रयास किया गया, पुलिस टीम द्वारा दो व्यक्तियों को घेरकर मौके पर समय 01.00 बजे पकड़ लिया। इनका एक अन्य साथी रात्रि का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपने नाम 1. भूपराम पुत्र हरिराम निवासी ग्राम ताजपुर नवदिया थाना भमौरा, जिला बरेली उम्र करीब 22 वर्ष 2. प्रमोद पुत्र रामपाल निवासी ग्राम ताजपुर नवदिया थाना भमौरा जिला बरेली उम्र करीब 21 वर्ष बताये। अभियुक्त भूपराम के कब्जे से 502 ग्राम मार्फिन (कूड) तथा अभियुक्त प्रमोद के कब्जे से 502 ग्राम मार्फिन (कूड) कुल 01 किलो 011 ग्राम (जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 01 करोड़ रुपये) बरामद हुआ। इसके अतिरिक्त अभियुक्तों के संयुक्त कब्जे से परिवहन में प्रयुक्त एक मो0सा0 रजि0 नं0 UP25ED5373 व 02 मल्टीमीडिया मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 1332/2025 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ कर मा0 न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड स्वीकृत कराकर जेल भेजा जायेगा।

घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 1332/2025 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना बारादरी बरेली

पूछताछ एवं अभियुक्त का विवरण (जैसे कि वह कहाँ का रहने वाला है, कितना पढ़ा-लिखा है, पूर्व में/वर्तमान क्या करता/करती है, घटना स्थल किस तरह पहुँचा और अपराध में संलिप्त करने का कारण आदि):-

अभियुक्त गण से बारी बारी पूछने पर जानकारी हुई कि भूपराम कश्यप पढ़ा लिखा नहीं है मजदूरी करता है, इसका एक भाई और है जो हिमाचल प्रदेश में मजदूरी करता है इसकी तीन छोटी बच्चियां हैं। प्रमोद कश्यप कक्षा 04 तक पढ़ा है यह भी मजदूरी करता है तथा 06 भाई बहन हैं। इन दोनों की मुलाकात दातागंज में नवनीत से मेले में घूमने के दौरान हुई थी इन दोनों की रिस्तेदारी भी ग्राम दियोनी थाना दातागंज बदायूं में है। एक दूसरे के घर आना जाना एवं मित्रता प्रारम्भ हो गयी। नवनीत सिंह एक शातिर दिमाग व्यक्ति है व पूर्व में भी मादक पदार्थों की बिक्री में जेल जा चुका है। मित्रता के दौरान ही नवनीत ने इन दोनों से कहा था कि क्यों मजदूरी के चक्कर में पड़े हो मेरे साथ मिलकर काम

करो और फिर पैसा लगाओ, माल लाते हैं और उसे बेचकर अच्छा मुनाफा कमायेंगे। नवनीत इन दोनों के साथ मणिपुर जाकर वहां से कूड पाउडर के रूप में लाते हैं। चूंकि मणिपुर में यह आसानी से मिल जाता है तथा इसकी मांग बरेली एवं अन्य आसपास के जिलों में काफी रहती है। क्योंकि कूड और अफीम मिलाकर अच्छी किस्म की स्मैक तैयार कर ली जाती है तथा जिसकी मात्रा व क्वालिटी भी अधिक रहती है। पूर्व में दो बार यह लोग मणिपुर से थोड़ा थोड़ा माल लाकर बेच चुके हैं जिससे अच्छा खासा मुनाफा मिला और फिर तीनों मौज मस्ती के लिए कई धार्मिक स्थलों व पर्यटन स्थलों की यात्रा भी किये तथा खाने पहनने पर भी खूब पैसा खर्च किये। इस बार भी यह माल तीनों लेकर आये थे और ग्राहक जिसकी बात नवनीत से पक्की हुई थी, आने का इंतजार कर रहे थे कि पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया। इनका नवनीत मौके से भाग गया। भागे हुए अभियुक्त नवनीत की शीघ्र गिरफ्तारी कर माल बेचने व खरीदने वाले की जानकारी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त व अपराधिक इतिहास:-

भूपराम पुत्र हरिराम निवासी ग्राम ताजपुर नवदिया थाना भमौरा, जिला बरेली उम्र करीब 22 वर्ष

मु0अ0सं0 1332/2025 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना बारादरी बरेली।

प्रमोद पुत्र रामपाल निवासी ग्राम ताजपुर नवदिया थाना भमौरा जिला बरेली उम्र करीब 21 वर्ष

मु0अ0सं0 1332/2025 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना बारादरी बरेली।

फरार अभियुक्त:-

नवनीत निवासी ग्राम दियोनी थाना दातागंज जिला बदायूं

बरामदगी:-

- 01 किलो 011 ग्राम मार्फिन (कूड) -(कीमत लगभग 01 करोड़ रुपये)
- एक मो0सा0 रजि0 नं0 UP 25 ED 5373 **परिवहन में प्रयुक्त**
- 02 मल्टीमीडिया मोबाइल फोन

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण:-

- ❖ प्रभारी निरीक्षक धनंजय पाण्डेय थाना बारादरी बरेली।
- ❖ 30नि0 विनय बहादुर प्रभारी चौकी सैटेलाइट थाना बारादरी बरेली।
- ❖ 30नि0 रवि तोमर थाना बारादरी बरेली।
- ❖ हे0का0 534 आशीष कुमार मिश्र थाना बारादरी बरेली।
- ❖ हे0का0 329 राहुल कुमार थाना बारादरी बरेली।
- ❖ का0 511 आदित्य प्रताप सिंह थाना बारादरी बरेली।
- ❖ हे0का0 879 चेतन सिंह थाना बारादरी बरेली।
- ❖ का0 555 दिपांशु पोसवाल थाना बारादरी बरेली।